सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय
लिंक रोड नं. 3, भोपाल – 462016
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्र./VC/428162/I/1121563/2026 दिनांक :29-06-2026

प्रति,
समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- दिनांक 24/06/2026 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक 24/06/2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय तथा जिलों के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिए गए :-

ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा :-

- विगत 3 विभागीय VC में निर्देशित करने के उपरांत भी कुछ जिलों यथा भिंड, इंदौर, सिंगरौली, ग्वालियर, दतिया, खरगौन, विदिशा, भोपाल, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, गुना, डिंडोरी, बालाघाट, रतलाम एवं पन्ना इत्यादि द्वारा पत्र ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित नहीं करते हुये संचालनालय को ई-मेल किये जा रहे है। यह उचित नहीं है।
- जिलों यथा विदिशा , गुना , दतिया , भिण्ड, डिंडोरी, बालाघाट, रतलाम एवं पन्ना द्वारा संचालनालय को ई-ऑफिस जारी से e-Sign/ DSC Sign वाले पत्रों को manual dispatch किये जा रहे है। संचालनालय से सतत् निर्देशित करने के उपरांत भी जिलों द्वारा पत्र ई-ऑफिस पर eSign/DSC Sign करने के उपरांत CRU के माध्यम से प्रेषित नहीं किय जा रहे है।
- समस्त जिला अधिकारी सुनिश्चित करें कि संचालनालय पत्राचार केवल ई-ऑफिस के माध्यम से e-Sign / DSC Sign पत्रों को संचालनालय के CRU को ही प्रेषित किया जाये, पृथक से संचालनालय को ई-मेल नहीं किया जाये।
- जिला नर्मदापुरम एवं ग्वालियर द्वारा ई-ऑफिस के माध्यम से जारी पत्र को संचालनालय के CRU Shri Bhagwan Das Raikwar, Assistant Grade-3, Section : Inward and Outward को प्रेषित नहीं करते हुये संचालनालय के किसी अन्य कर्मचारी को प्रेषित किये गये है , अत: समस्त जिलें सुनिश्चत करें कि ई-ऑफिस पर e-Sign पत्र को Dispatch करते समय Intra e-Office का चयन कर DIRECTORATE OF SOCIAL JUSTICE AND DISABLED WELFARE का चयन कर CRU Users को चेक करें, तद्उपरांत संचालनालय के CRU Shri Bhagwan Das Raikwar, Assistant Grade-3, Section : Inward and Outward को पत्र Dispatch किया जाये।
- ई-ऑफिस में बनाये गये पत्रों का Subject स्पष्ट लिखा जाये, कुछ जिलों द्वारा ई-ऑफिस पर बनाये गये पत्रों के Subject में पत्र प्रारूप / पत्र इत्यादि लिखा गया है। जिससे यह पुष्टि नहीं हो पाती है कि पत्र किस संबंध में लिखा गया है।
- संचालनालय के CRU को केवल वही पत्र प्रेषित किये जाये जो आयुक्त को संबोधित अथवा संचालनालय के किसी अन्य प्रभारी अधिकारी को संबोधित है।
- कुछ जिलों द्वारा पत्र में पत्र क्रं. नम्बर एवं दिनांक का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अत: ई-ऑफिस में पत्र क्रं. में अनुभाग का नाम/ फाईल नम्बर लिखकर /I/1121563/2026 hashtag का उपयोग किया जाना चाहिये, जिससे कि पत्र का यूनिक नम्बर जेनरेट हो सके। उदा. के लिये - क्रं/VC/428162/I/1121563/2026 दिनांक :29-06-2026
- संचालनालय से प्रेषित पत्रों को जिले के CRU/ अधिकारी प्रतिदिन ई-ऑफिस में लॉगईन कर

Received Letter में जाकर Diaries करें। CRU diaries पत्रों को जिला अधिकारी को प्रेषित करें, तद्उपरांत जिला अधिकारी द्वारा Receipt के inbox में जाकर पत्र को संबंधित शाखा लिपिक को प्रेषित किया जाये।

- जिला अशोकनगर एवं दमोह द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उनके जिले में अभी भी ई-ऑफिस के माध्यम से ई.पी.ओ. पर संयुक्त eSign नहीं किये जा रहे है।
- निराश्रित निधि ई-पेमेंट एवं प्रबंधन प्रणाली पर बनाये गये ई.पी.ओ. पर जिला कलेक्टर एवं जिला अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर ई-ऑफिस पर सुनिश्चित किये जाये।
- जिन जिलों में ई-ऑफिस का उपयोग नहीं किया जा रहा है, वे जिले शत-प्रतिशत ई-ऑफिस का उपयोग करना सुनिश्चित करें।

विभिन्न पोर्टल यथा पेंशन, स्पर्श एवं विवाह पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा :-

- विभाग के विभिन्न पोर्टल यथा पेंशन, स्पर्श एवं विवाह पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई :-
- पेंशन पोर्टल पर सर्वाधिक आवेदन निर्णय हेतु जिला SATNA , BHIND, GWALIOR , MAIHAR एवं SINGROULI में लंबित है। समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि स्थानीय निकायों के पदाभिहित अधिकारियों द्वारा शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की जा रही है। स्थानीय निकायों द्वारा समग्र पोर्टल, बी.पी.एल. पोर्टल एवं स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित करने के उपरांत ही आवेदन पेंशन योजना हेतु आवेदन कर सकता है, पात्र होने के उपरांत भी स्थानीय निकायों के पदाभिहित अधिकारियों द्वारा लोक सेवा गांरटी अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा मे निराकरण नहीं किये जा रहे है, अत: जिला अधिकारी संबंधित निकाय के पदाभिहित अधिकारी के विरूद्व लोक सेवा गांरटी अधनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- जिला BHOPAL, UJJAIN, GWALIOR, SIDHI एवं NARMADAPURAM में DSC Sign हेतु सर्वाधिक आवेदन लंबित है। पेंशन पोर्टल पर आवेदन को स्वीकृत / अस्वीकृत करने के उपरांत DSC Sign किया जाना अनिवार्य है, अत: यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के उपरांत तत्काल ही DSC Sign भी कर दिया जाये, जिससे कि हितग्राही की पेंशन का भुगतान प्रारंभ हो सके।
- जिला UMARIA, MANDSAUR, DINDORI, INDORE एवं DHAR में विगत 6 माह से सतत् सर्वाधिक भुगतान असफल हो रहे है, संबंधित जिला **असफल भुगतान** के प्रकरणों की समीक्षा कर स्थानीय निकायों से निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
- जिला MANDSAUR, BHOPAL, DINDORI, NARSINGHPUR एवं UMARIA में भारत सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को Mobile App के माध्यम से **DLC** कराने की कार्यवाही नगण्य है। जबकि समय-सीमा 15 जून 2026 निर्धारित की गई थी। अत: समस्त जिलें यथाशीघ्र शेष रहे पेंशन हितग्राहियों को DLC कराना सुनिश्चित करें। तकनीकी समस्या होने पर संचालनालय से प्रेषित Troubleshoot के अनुसार कार्यवाही करें व निराकरण नहीं होने की स्थिति में Sanction No., स्क्रीनशॉट सहित विस्तृत जानकारी भारत सरकार के ई-मेल आईडी mis-nsap@nic.in पर ई-मेल करें।
- जिला SINGROULI, UJJAIN, SAGAR, DINDORI एवं KHANDWA में **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना** के सर्वाधिक आवेदन लंबित है। अत: समस्त जिले लंबित आवेदनों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
- जिला CHHINDWARA, DHAR, MANDSAUR, CHHATARPUR एवं VIDISHA में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के सर्वाधिक आवेदन लंबित है, उक्त लंबित आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जिला RAISEN, UJJAIN, CHHATARPUR, CHHINDWARA एवं PANDHURNA में मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सर्वाधिक आवेदन लंबित है, अत: उक्त लंबित आवेदनों का निराकरण करना सुनिश्चित करें । वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु योजना अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु स्पर्श पोर्टल को Open कर दिया गया है, अत: समुचित प्रचार-प्रसार कर पात्र दिव्यांग छात्र/छात्राओं के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाये व

निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये।

- जिला CHHATARPUR, VIDISHA, SAGAR, MORENA एवं CHHINDWARA में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सर्वाधिक आवेदल लंबित है। आवेदन किसी भी माध्यम (ऑनलाईन / ऑफलाईन) हो, उक्त समस्त लंबित आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाये। आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार निर्णय लिया जाये, स्वीकृति के उपरांत जिला अधिकारी स्वीकृत / अस्वीकृत प्रकरण पर eSign करें व भुगतान की कार्यवाही कर भुगतान की जानकारी को विवाह पोर्टल पर दर्ज करें।
- जिला CHHINDWARA, BALAGHAT, KHANDWA, SAGAR एवं SATNA में लाभ की जानकारी दर्ज करने हेतु सर्वाधिक प्रकरण विवाह पोर्टल लंबित है। कन्या विवाह/ निकाह योजना अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो आयोजन में उपस्थित हुये थे, उनको प्रदाय लाभ की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की जा रही है, समस्त अधिकारी लाभ की जानकारी विवाह पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर विवाह उपरांत 7 दिवस की समय-सीमा उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित है, यदि किसी जिले में विवाह पोर्टल पर समय-सीमा में उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी है, वे जिले कलेक्टर के माध्यम से पत्र प्रेषित करें व कारणों का लेख भी करें कि किन कारणों से विवाह पोर्टल पर उपस्थिति/अनुपस्थिति नहीं की जा सकी।
- उपरोक्तानुसार प्रकरणों की समीक्षा उपरांत समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि :-
    - विभागीय योजनायें अत्यंत संवेदनशील है, अत: योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशीलता के साथ किया जाये। जिला एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी प्रतिदिन विभाग के पोर्टलों पर लॉगईन कर उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। यदि स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये, अन्यथा प्रगति नहीं आने पर जिला अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा :-

- मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों में निराकरण दर्ज करते समय निराकरण में हितग्राही की समग्र आई.डी. अनिवार्यत: दर्ज करें।
- यदि प्रकरण में पात्रतानुसार भुगतान कर दिया गया हो तो भुगतान की तिथि , राशि स्पष्ट रूप से निराकरण में दर्ज अवश्य करें।
- यदि पेंशन योजनाओं के प्रकरणों में हितग्राही को पेंशन एरियर राशि की पात्रता हो तो एरियर राशि के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करें एवं उसका उल्लेख निराकरण में अवश्य करें।
- समस्त जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया कि निम्न गुणवत्ता के निराकरण से मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में विभाग की ग्रेडिंग प्रभावित होती है। अत: निराकरण दर्ज करने में पूर्ण सावधानी एवं गंभीरता बरती जाये।
- यदि किन्हीं प्रकरणों में आवंटन/बजट की आवश्यकता हो तो तत्काल संबंधित योजना प्रभारी अधिकारी संचालनालय से संपर्क कर निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- भोपाल जिले में सर्वाधिक शिकायतें लंबित पाई गई, जिसमें कन्या विवाह योजना की 109 शिकायतें लंबित हैं। लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करने हेतु अवगत कराया गया।
- समस्त जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय-सीमा बाहय प्रकरणों की समीक्षा वरिष्ठ स्तर पर की जा रही है, अत: लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय-सीमा बाहय प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराया जाये।

प्रदाय बजट आवंटन एवं व्यय की प्रगति की समीक्षा :-

- समस्त जिलों को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदाय किए गए त्रैमासिक बजट का पूर्ण व्यय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। चूंकि प्रथम त्रैमास उपलब्ध व्यय सीमा दिनांक 30 जून, 2026 को समाप्त हो जाएगी, अतः आवश्यक कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित करें प्रथम त्रैमास उपलब्ध व्यय सीमा का उपयोग हो सके।

नशा मुक्त भारत सप्ताह'' अंतर्गत प्रदेश के संभागों एवं जिलों में नशा मुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की प्रगति की समीक्षा।

- नशा मुक्त भारत सप्ताह" अंतर्गत आयोजित की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की गई। समस्त जिलों को 26 जून 2026 को समापन कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करने, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य विभागों की सहभागिता से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, कार्यक्रमों के फोटो एवं वीडियो NMBA पोर्टल पर अपलोड कराने, अधिक से अधिक "नशा मुक्ति मित्र" बनाने तथा आवंटित बजट का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

स्माइल (SMILE) भिक्षावृत्ति गृह (Beggary Home) हेतु की प्रगति की समीक्षा।

- स्माइल बेगरी योजना अंतर्गत चयनित 12 जिलों **इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, छतरपुर (खजुराहो), भोपाल, खण्डवा (ओंकारेश्वर), जबलपुर, सतना (चित्रकूट), अनूपपुर (अमरकंटक), निवाड़ी (ओरछा), खरगोन (महेश्वर) एवं ग्वालियर** में भिक्षुक गृह (Beggary Home) की स्थापना एवं संचालन की प्रगति की समीक्षा की गई। जिन जिलों में संस्था का चयन, अनुबंध, बैंक खाते, अनुदान व्यय एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही लंबित है, उन्हें शीघ्र पूर्ण करते हुए योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा नियमित प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

Digitally signed by
SUCHITA TIRKEY BECK
Date: 29-06-2026
12:13:42

कार्यालय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)

क्र./VC/428162/I/1121563/2026 दिनांक :29-06-2026

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
2. निज सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश – सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सूचनार्थ।
5. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय – सूचनार्थ।
6. समस्त जिला समन्वयक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सूचनार्थ।
7. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी– सूचनार्थ।
8. समस्त समग्र संयोजक – सूचनार्थ।

कार्यालय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)